



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।**



वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in

फ़ोन - 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01 / यो0बजट-17/2019-424 दिनांक : 8/6/21

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल/ गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल/ गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल/ गोड्डा वन प्रमण्डल/ देवघर वन प्रमण्डल/ चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल/ चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल/ कोडरमा वन प्रमण्डल/ हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल/ हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल/ गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल/ गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल/ रामगढ़ वन प्रमण्डल/ बोकारो वन प्रमण्डल/ धनबाद वन प्रमण्डल/ जमशोदपुर वन प्रमण्डल/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, देवघर/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, कोडरमा/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, हजारीबाग/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, गढ़वा।

**विषय :—** वित्तीय वर्ष 2021–22 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण” योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत वनभूमि पर वृक्षारोपण, अवकृष्ट वनों का पुनर्वास, शीघ्र बढ़ने वाले पौधा का रोपण एवं नदियों के उदगम स्थल पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) हेतु कुल रु0 381.327 लाख (तीन करोड़ एकासी लाख बत्तीस हजार सात सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

**प्रसंग :—** विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4 / यो0ब0-28/2019-08 / स्वी0 व0प0 दिनांक 18.06.2019 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04 / यो0बजट-32/2020-02 / आ0 व0प0 दिनांक 21.05.2021।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष–789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–58–अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021–22 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल रु0 381.327 लाख (तीन करोड़ एकासी लाख बत्तीस हजार सात सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:—

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601789580103	332.504
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601789580323	48.823
<b>कुल :—</b>		<b>381.327</b>

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1 (क) से 1 (घ) पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने—अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-2 (क) से 2 (ग) तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या-19S240601789580103, 19S240601789580323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के समय पत्रांक-1254 दिनांक-20.07.2020 अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समय-समय पर निर्गत योजना-सह-वित्त विभाग के आदेश/निर्देश लागू होंगे।

7. वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद संबंधी पत्र-परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

9. योजना का कार्यान्वयन स्वीकृत स्थल विशेष प्राक्कलन, प्रदत्त तकनीकी एवं प्रशासनिक अनुमोदन के अनुरूप किया जायेगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

11. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अन्तर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

13. वैधानिक लेवी/करों, विनियम दरों/अनुसूचित दरों में परिवर्तन होने के कारण स्वीकृत राशि में परिवर्तन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या 301 दिनांक 11.03.2015 के तहत अनुमान्य होगा, अन्य किसी प्रकार के दर में परिवर्तन हेतु राज्य सरकार की पुर्वानुमति अनिवार्य होगी।

14. योजनाओं में सामग्रियों का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

15. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

16(I). ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

(II) ऐसे वन क्षेत्र पदाधिकारी जिन्होंने लेखा सर्वपण में विलंब किया जिसके कारण प्रमंडलीय लेखा में विलंब हुआ, उनके कार्यों का स्थल जाँच, उत्तरजीविता प्रतिशत का सत्यापन GIS Photography के साथ कर record में रखे तथा मासिक लेखा प्राप्त होने तथा समायोजन होने के बाद राशि दी जाय।

(III) बड़े अग्रिम, वन क्षेत्र पदाधिकारी को ना दिये जायें। भुगतान तथा समायोजन के बाद ही अग्रेतर राशि दी जाय।

(IV) सभी भुगतान मजदूरों/सामग्री को DBT/Bank खातों में ही किया जायेगा। किसी भी प्रकार का Cash भुगतान नहीं किया जायेगा।

(V) Muster roll में अन्य व्यौरा के साथ-साथ बैंक का नाम, Account number तथा IFSC कोड भी अंकित रहेगा। यथा संभव mobile number भी संधारित किया जाय।

(VI) लेखा समायोजन में पूर्व निर्धारित Document के साथ-साथ संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी के Bank Account का Printout जिसमें संबंधित मजदूरों के भुगतान का साक्ष्य है, इसे भी प्राप्त कर लेखा समायोजन किया जाय।

(VII) एक वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के अग्रिम/भुगतान समायोजन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष ध्यान देंगे।

(VIII) पूर्व से गबन के आरोपी, गड़बड़ी करने वाले कार्यों पर वन प्रमंडल पदाधिकारी विशेष निगरानी की व्यवस्था रखेंगे तथा ऐसे मामलों की व्यक्तिगत जाँच ज्यादा की जाय।

(IX) योजना के विरुद्ध राशि विमुक्त अधियाचना में उत्तरजीविता प्रतिशत की जानकारी संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी/वनपाल/वनरक्षी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय। अगर मानक के अनुरूप यह नहीं है तो दोषियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाय। वन प्रमंडल पदाधिकारी जाँच कर प्रतिवेदन देंगे।

(X) मासिक लेखा में पूर्व माहों का समायोजन कम से कम 75% होने के बाद ही अग्रेतर राशि जो आगामी माह में व्यय योग्य है, वही दी जाय। पूरे वर्ष की राशि एक साथ एकमुश्त विमुक्त न हो।

(XI) COVID-19 के protocol का पालन सभी कार्यों में किया जाय।

(XII) श्रोत पर (St source-TDS) यथा आयकर (Income tax), GST/VAT Profession tax इत्यादि की कटौती का दायित्व वन प्रमंडल पदाधिकारी का होगा। किसी भी उल्लंघन के लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी स्वतः जिम्मेवार होंगे।

17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

18. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा समय-समय पर निर्गत योजना-सह-वित्त विभाग के आदेश/निर्देश लागू होंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / योबजट-17/2019-424 दिनांक- 8/6/21

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू, हजारीबाग/ संथाल परगना, दुमका/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू/ दुमका/ हजारीबाग/ बोकारो/ जमशेदपुर/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर/ गढ़वा/ दुमका/ देवघर/ चतरा/ हजारीबाग/ गिरिडीह/ बोकारो/ जमशेदपुर/ एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / योबजट-17/2019-424 दिनांक- 8/6/21

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, मेदिनीनगर/ गढ़वा/ गोड़डा/ देवघर/ चतरा/ कोडरमा/ हजारीबाग/ गिरिडीह/ रामगढ़/ बोकारो/ धनबाद/ जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत वनभूमि पर वृक्षारोपण (1666 पौधा प्रति हेक्टेक्टर) का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का प्रमण्डलवार प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हेक्टेक्टर में)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			12204.14	2182.40	14386.54
i	ii	iii	iv	v	vi
1	मेदिनीनगर वन प्रमण्डल	130.00	15.865	2.837	18.702
2	गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल	50.00	6.102	1.091	7.193
3	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल	50.00	6.102	1.091	7.193
4	गोड़डा वन प्रमण्डल	50.00	6.102	1.091	7.193
5	देवघर वन प्रमण्डल	50.00	6.102	1.091	7.193
6	चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल	150.00	18.306	3.274	21.580
7	चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल	150.00	18.306	3.274	21.580
8	कोडरमा वन प्रमण्डल	50.00	6.102	1.091	7.193
9	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल	50.00	6.102	1.091	7.193
10	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल	100.00	12.204	2.182	14.386
11	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल	150.00	18.306	3.274	21.580
12	साठवां प्रमण्डल, देवघर	50.00	6.102	1.091	7.193
13	साठवां प्रमण्डल, कोडरमा	100.00	12.204	2.182	14.386
14	साठवां प्रमण्डल, हजारीबाग	100.00	12.204	2.182	14.386
15	साठवां प्रमण्डल, गढ़वा	100.00	12.204	2.182	14.386
योग :-		1330.00	162.313	29.024	191.337

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत अवकृष्ट वनों का पुनर्वास (1000 पौधा प्रति हेक्टेक्टर) का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का प्रमण्डलवार प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हेक्टेक्टर में)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			10638.15	961.00	11599.15
i	ii	iii	iv	v	vi
1	गोड़डा वन प्रमण्डल	100.00	10.638	0.961	11.599
2	चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल	150.00	15.957	1.442	17.399
3	कोडरमा वन प्रमण्डल	30.00	3.191	0.288	3.479
4	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल	50.00	5.319	0.481	5.800
5	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल	100.00	10.638	0.961	11.599
6	रामगढ़ वन प्रमण्डल	50.00	5.319	0.481	5.800
7	बोकारो वन प्रमण्डल	100.00	10.638	0.961	11.599

8	साठवाठ प्रमण्डल, देवघर	50.00	5.319	0.481	5.800
9	साठवाठ प्रमण्डल, कोडरमा	100.00	10.638	0.961	11.599
10	साठवाठ प्रमण्डल, हजारीबाग	100.00	10.638	0.961	11.599
11	साठवाठ प्रमण्डल, गढ़वा	100.00	10.638	0.961	11.599
	योग :-	930.00	98.933	8.939	107.872

अनुलग्नक-1 (ग)

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण (2500 पौधा प्रति हे0) का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का प्रमण्डलवार उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे0 में)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			18110.07	2402.50	20512.57
i	ii	iii	iv	v	vi
1	गोड़ा वन प्रमण्डल	50.00	9.055	1.201	10.256
2	देवघर वन प्रमण्डल	50.00	9.055	1.201	10.256
3	जमशेदपुर वन प्रमण्डल	50.00	9.055	1.201	10.256
4	कोडरमा वन प्रमण्डल	25.00	4.528	0.601	5.129
5	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल	50.00	9.055	1.201	10.256
	योग :-	225.00	40.748	5.405	46.153

अनुलग्नक-1 (घ)

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत नदियों के उदगम स्थल पर वृक्षारोपण (1666 पौधा प्रति हे0) का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का प्रमण्डलवार उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे0 में)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			12204.14	2182.40	14386.54
i	ii	iii	iv	v	vi
1	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल	100.00	12.204	2.182	14.387
2	बोकारो वन प्रमण्डल	50.00	6.102	1.091	7.193
3	रामगढ़ वन प्रमण्डल	50.00	6.102	1.091	7.193
4	धनबाद वन प्रमण्डल	50.00	6.102	1.091	7.193
	योग :-	250.00	30.510	5.455	35.965
	सकल योग :-	2735.00	332.504	48.823	381.327

अपर प्रधान मर्यादित वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक—

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : वनभूमि/नदियों के उदगम स्थल पर वृक्षारोपण (1666 पौधा प्रति हेठो)

पौधों की संख्या प्रति हेठो : 1666

पौधों की दूरी : (3m x 2m)

मजदूरी दर : 311.33 प्रति मानव दिवस

क्र०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>(A) सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष)</b>							
1	एक कोडनी एवं निकौनी	हेठो	23.00	7160.59	0.00	7160.59	
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	1892.40	1892.40	
3	पौधों की सुरक्षा (30 हेठो तक)	स्थल	12.20	3798.23	0.00	3798.23	
4	गड्ढा धेरान की मरम्मत	चेन	1.00	311.33	0.00	311.33	
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हेठो	3.00	933.99	290.00	1223.99	
	योग—		39.20	12204.14	2182.40	14386.54	

अनुलग्नक—

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : अवकृष्ट वनों का पुनर्वास वृक्षारोपण (1000 पौधा प्रति हेठो)

पौधों की संख्या प्रति हेठो : 1000 पौधे

मजदूरी दर : 311.33 प्रति मानव दिवस

स्पेसिंग 3m x 3m अथवा 2m x 2m अथवा 3m x 2m (रिक्त स्थान की उपलब्धता अनुसार)

क्र० सं०	कार्य विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
<b>(A) सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष)</b>							
1	एक कोडनी-निकौनी	हेठो	14.00	4358.62	0.00	4358.62	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/ उरिया, जैविक किटनासक आदि)	हेठो	0.00	0.00	785.00	785.00	
3	पौधों की सुरक्षा		12.17	3788.89		3788.89	
4	धेरान मरम्मत	6 चेन प्रति हेठो	6.00	1867.98	0.00	1867.98	
6	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हेठो	2.00	622.66	176.00	798.66	
	योग :—		34.17	10638.15	961.00	11599.15	

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर  
योजना का नाम : शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण (2500 पौधा प्रति हेक्टेक्टर)

पौधों की संख्या प्रति हेक्टेक्टर : 2500 पौधे

पौधों की दूरी : 2 मीटर  $\times$  2 मीटर

मजदूरी दर : 311.33 प्रति मानव दिवस

क्र० सं०	कार्य विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
<b>(A) सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष)</b>							
1	एक कोडनी-निकौनी	हेक्टेक्टर	35.00	10896.55	0.00	10896.55	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी० / यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हेक्टेक्टर	0.00	0.00	1962.50	1962.50	
3	पौधों की सुरक्षा		12.17	3788.89		3788.89	
4	धेरान मरम्मति	6 चेन प्रति हेक्टेक्टर	6.00	1867.98	0.00	1867.98	
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हेक्टेक्टर	5.00	1556.65	440.00	1996.65	
योग :-			58.17	18110.07	2402.50	20512.57	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
  
 झारखण्ड, राँची

आवंटन आदेशझारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती हैं

पत्र संख्या - 01/YB-17/2019/424

दिनांक -

08-Jun-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	25368	PLMFOR070 RAHUL KUMAR IFS D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV. 03 - मजदूरी	1,586,500.00 रुपये पंद्रह लाख छियासी हजार पौंच सौ
2	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	25369	GRHFWL001 DILEEP KUMAR YADAV D.F.O. NORTH DIV. GARHWA 03 - मजदूरी	610,200.00 रुपये छ: लाख दस हजार दो सौ
3	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	25371	GRHFWL004 SHASHI KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA 03 - मजदूरी	610,200.00 रुपये छ: लाख दस हजार दो सौ
				State Scheme : NA Central Scheme : NA
				State Scheme : NA Central Scheme : NA
				State Scheme : NA Central Scheme : NA

योगः

रुपये अठाइस लाख छ: हजार नौ सौ


2,806,900.00

क्रमिक योगः

  
 (NAND KISHORE SINGH)  
 I/C OF FCCE DEV JHARKHAND


क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 24060178958010103	25372	GDDFOR164	2,579,500.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		PATRUNI RAJENDRA	रुपये पच्चीस लाख उन्नासी हजार
	789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		NAIDU	पैंच सौ
	58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण		DFO GODDA FOREST	
	01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण		DIVISION	
	01 - वेतन एवं भन्ने		03 - मजदूरी	
	State Scheme :	NA		
	Central Scheme :	NA		
5	S 19 24060178958010103	25373	DGRFORE88	1,515,700.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी		RAJ KUMAR SAH	रुपये पंद्रह लाख पंद्रह हजार सात
	01 - वानिकी		DFO	सौ
	789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		DEO.FOR.DIV.DEO.	
	58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण			
	01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण			
	01 - वेतन एवं भन्ने		03 - मजदूरी	
	State Scheme :	NA		
	Central Scheme :	NA		
6	S 19 24060178958010103	25374	CTRFOR002	1,830,600.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी		R.THANGA PANDIAN	रुपये अठारह लाख तीस हजार छ:
	01 - वानिकी		D.F.O. NORTH DIV.	सौ
	789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		CHATRA	
	58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण			
	01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण			
	01 - वेतन एवं भन्ने		03 - मजदूरी	
	State Scheme :	NA		
	Central Scheme :	NA		
योग:	रुपये सित्यासी लाख बत्तीस हजार सात सौ			5,925,800.00
क्रमिक योग:				8,732,700.00
			(NAND KISHORE SINGH) ADDL PCCE DEV JHARKHAND	
Page 2 of 14		RANCH	Run Date:	8/6/2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	25375	CTRFOR003 SURENDRA PRASAD SUMAN D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA 03 - मजदूरी	3,426,300.00 रुपये चौतीस लाख छब्बीस हजार तीन रुपये
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
8	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	25377	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA 03 - मजदूरी	1,382,100.00 रुपये तेरह लाख बयासी हजार एक रुपये
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
9	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	25378	HZBFWL009 SMITHA PANKAJ DIV. FOREST OFFICE EAST 03 - मजदूरी	1,142,100.00 रुपये एकाशह लाख बयालीस हजार एक रुपये
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
योग:	रुपये एक करोड छयालीस लाख तिरयासी हजार दो रुपये			5,950,500.00
क्रमिक योग:				14,683,200.00
			(NAND KISHORE SINGH) ADDL. PCCE DEV. JHARKHAND	

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भने	25380	HZBFWL005 RAVINDRA NATH MISHRA I.F.S. D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB 03 - मजदूरी	3,189,700.00 रुपये इक्टीस लाख नवासी हजार सौ
11	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भने	25381	GRDFOR001 PRAWESH AGRAWAL DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV. 03 - मजदूरी	1,830,600.00 रुपये अठारह लाख तीस हजार छ: सौ
12	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भने	25382	GRDFOR003 SHABA ALAM ANSARI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV. 03 - मजदूरी	1,220,400.00 रुपये बारह लाख बीस हजार चार सौ
State Scheme : NA Central Scheme : NA				
योग: 6,240,700.00 क्रमिक योग: 20,923,900.00				
 (NAND KISHORE SINGH) ADDL PCCE DEV JHARKHAND				


क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भन्ते	25383	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICE	1,142,100.00 रुपये ग्यारह लाख बयातीस हजार एक सौ
14	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भन्ते	25384	BKRFOR001 ARUN KUMAR SINGH D F O, BOKARO	1,674,000.00 रुपये सोलह लाख बीहत्तर हजार
15	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भन्ते	25385	DHNFOR001 SRI BIMAL LAKRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	610,200.00 रुपये छ: लाख दस हजार दो सौ
<p>State Scheme : NA Central Scheme : NA</p> <p>State Scheme : NA Central Scheme : NA</p> <p>State Scheme : NA Central Scheme : NA</p>				
<p>योग: 3,426,300.00 क्रमिक योग: 24,350,200.00</p> <p>(NAND KISHORE SINGH) S/NO. 147, JUB RANCH</p>				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 24060178958010103	25387	JSRFOR051 MAMTA PRIYADARSHI (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR. 03 - मजदूरी	905,500.00 रुपये नौ लाख पॉच हजार पॉच सौ
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भने			
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
17	S 19 24060178958010103	25389	DGRFORE87 B.BHASKARAN D.F.O. S.F.DIV.. DGR 03 - मजदूरी	1,142,100.00 रुपये ग्यारह लाख बयालीस हजार एक सौ
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भने			
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
18	S 19 24060178958010103	25390	KDMFORA02 KANAK KISHORE D.F.O (S.F.) KODERMA 03 - मजदूरी	2,284,200.00 रुपये बाइस लाख चौरासी हजार दो सौ
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भने			
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
योग:	रुपये दो करोड छियासी लाख बयासी हजार			4,331,800.00
क्रमिक योग:				28,682,000.00

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भन्ने	25391	HZBFWL007 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG 03 - मजदूरी	2,284,200.00 रुपये बाइस लाख चौरासी हजार दो सौ
20	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भन्ने	25393	GRHFWL003 SAUMITRA SHUKLA DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW 03 - मजदूरी	2,284,200.00 रुपये बाइस लाख चौरासी हजार दो सौ
21	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	25397	PLMFOR070 RAHUL KUMAR IFS D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV. 23 - आपूर्ति एवं मामग्री	283,700.00 रुपये दो लाख तिरयासी हजार सात सौ
State Scheme : NA Central Scheme : NA				
योग: क्रमिक योग: रुपये तीन करोड़ पैतीस लाख चौतीस हजार एक सौ				
 (NAND KISHORE SINGH) ADDL. PCCE DEV JHARKHAND				
4,852,100.00 33,534,100.00				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
22	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अनुमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	25400 GRHFWL001 DILEEP KUMAR YADAV D.F.O. NORTH DIV. GARHWA	23 - आपूर्ति एवं सामग्री	109,100.00 रुपये एक लाख नौ हजार एक सौ

State Scheme : NA  
Central Scheme : NA

23	S 19 24060178958010323	25402	GRHFWL004	109,100.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SHASHI KUMAR	रुपये एक लाख नौ हजार एक सौ
	789 - अनुमूलित जानियों के लिए विशेष घटक योजना		D.F.O. SOUTH	
	58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षान्वयण एवं भू-संरक्षण		DIV.GARHWA	
	01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण			
	03 - प्रशासनिक व्यय		23 - आपूर्ति एवं सामग्री	

State Scheme : NA  
Central Scheme : NA

24	S 19 24060178958010323	25403	GDDFOR164	325,300.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		PATRUNI RAJENDRA	रुपये तीन लाख पचास हजार तीन सौ
	789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		NAIDU	
	58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-मंरकाण		DFO GODDA FOREST	
	01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-मंरकाण		DIVISION	
	03 - प्रायासनिक व्यय			
				23 - आपूर्ति एवं मामता

State Scheme : NA  
Central Scheme : NA

योगः

रुपये तीन करोड़ चालीस लाख सिल्वोल्टर हजार छ; सौ

543,500.00

### क्रियिक योगः

34,077,600.00

(NAND KISHORE SINGH)

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
25	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिमूलित बन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूलित बनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	25404	DGRFORE88 RAJ KUMAR SAH DFO DEO.FOR.DIV.DEO. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	229,200.00 रुपये दो लाख उन्नीस हजार दो सौ

State Scheme : NA  
Central Scheme : NA

26	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिमूलित बन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूलित बनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	25405	CTRFOR002 R.THANGA PANDIAN D.F.O, NORTH DIV. CHATRA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	327,400.00 रुपये तीन लाख सत्ताइस हजार चार सौ
----	---	-------	--	---

State Scheme : NA  
Central Scheme : NA

27	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिमूलित बन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूलित बनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	25406	CTRFOR003 SURENDRA PRASAD SUMAN D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	471,600.00 रुपये चार लाख इकाहत्तर हजार छ. सौ
----	---	-------	---	---

State Scheme : NA  
Central Scheme : NA

योग:	रुपये तीन करोड़ इकावन लाख पॉंच हजार आठ सौ	1,028,200.00
क्रमिक योग:		35,105,800.00

(NAND KISHORE SINGH)

SARPOLE PCCE DEV JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
28	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	25407	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA 23 - आपर्ति एवं सामग्री	रुपये एक लाख अठानवे हजार 
	 State Scheme : NA Central Scheme : NA			
29	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	25408	HZBFWL009 SMITHA PANKAJ DIV. FOREST OFFICE EAST 23 - आपर्ति एवं सामग्री	रुपये एक लाख सत्तावन हजार रुपये 
	 State Scheme : NA Central Scheme : NA			
30	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	25411	HZBFWL005 RAVINDRA NATH MISHRA I.F.S. D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB 23 - आपर्ति एवं सामग्री	रुपये चार लाख चौतीस हजार चार रुपये 
	 State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योद्धा-

रुपये तीन करोड़ अट्टावन लाख पिनचानवे हजार चार सौ

789,600.00

### कस्तिक योगः

(NAND KISHORE SINGH)  
APDL, BCSE, DEV, JHARKHAND

35,895,400.00

Page 10 of 14

BANGU

**Run Date:** 8/6/2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
31	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	25413	GRDFOR001 PRAWESH AGRAWAL DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	327,400.00 रुपये तीन लाख सत्ताइस हजार दो सौ

State Scheme : NA  
Central Scheme : NA

32	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	25414	GRDFOR003 SHABA ALAM ANSARI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	218,200.00 रुपये दो लाख अठारह हजार दो सौ
----	---	-------	--	---

State Scheme : NA  
Central Scheme : NA

33	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	25416	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICE 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	157,200.00 रुपये एक लाख सत्तावन हजार दो सौ
----	---	-------	---	---

State Scheme : NA  
Central Scheme : NA

योग:	रुपये तीन करोड़ पैसठ लाख अठानवे हजार दो सौ	702,800.00
क्रमिक योग:		36,598,200.00

(NAND KISHORE SINGH)  
SARDOI POOR DEV JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्यवस्थन पदा.	आवंटित राशि
34	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	25417	BKRFOR001 ARUN KUMAR SINGH D F O, BOKARO 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	205,200.00 रुपये दो. लाख पैंच हजार दो सौ
				
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
35	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	25418	DHNFOR001 SRI BIMAL LAKRA DIVISIONAL FOREST OFFICER 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	109,100.00 रुपये एक लाख नौ हजार एक सौ
				
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
36	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	25419	JSRFOR051 MAMTA PRIYADARSHI (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	120,100.00 रुपये एक लाख बीस हजार एक सौ
				
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
<p>योग: <span style="float: right;">434,400.00</span>          क्रमिक योग: <span style="float: right;">37,032,600.00</span></p> <p style="text-align: center;">(NAND KISHORE SINGH) ANDI POOCHDEV JHARKHAND</p>				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
37	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	25420	DGRFORE87 B.BHASKARAN D.F.O. S.F.DIV., DGR 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	157,200.00 रुपये एक लाख सत्तावन हजार दो सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
38	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	25421	KDMFORA02 KANAK KISHORE D.F.O (S.F.) KODERM 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	314,300.00 रुपये तीन लाख चौदह हजार तीन सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
39	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	25422	HZBFWL007 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	314,300.00 रुपये तीन लाख चौदह हजार तीन सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
योग:	रुपये तीन करोड अठहत्तर लाख अठारह हजार चार सौ			785,800.00
क्रमिक योग:				37,818,400.00
			(NAND KISHORE SINGH) S/NO. PCCE DEO, JHARKHAND	

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
40	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	25423	GRHFWL003 SAUMITRA SHUKLA DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	314,300.00 रुपये तीन लाख चौदह हजार तीन रुपये

State Scheme : NA  
 Central Scheme : NA




योग:  
 क्रमिक योग:

रुपये तीन करोड़ इक्कहासी लाख बत्तीस हजार सात रुपये

314,300.00

38,132,700.00

  
 (NAND KISHORE SINGH)  
 ADDL. PCCE DEV. JHARKHAND